न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 254/2018
RCMS No. : 2018/00318

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली | | 1. ओमप्रकाश पुत्र वासुमल सिन्धी मैसर्स श्री भगवती नमकीन भण्डार पुलिस थाना के पास स्टेशन रोड मा0ज0 जिला पाली<br>2. मधु मैसर्स महादेव एजेन्सी हॉस्पीटल रोड मा0ज0 जिला पाली<br>3. कमल कान्त माहेश्वरी पुत्र श्री रामजस नवल मैसर्स श्री बेवरेज(A division of shree finsav Pvt Ltd)E 9 इडस्ट्रीज एरिया परबतपुरा अजमेर |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विपिन सान्दु अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :- 29.06.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को नियत तारीख पेशी पर बार–बार आवाजे दिलायी जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही हुए। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 14.05.2017 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स श्री भगवती नमकीन भण्डार पुलिस थाना के पास स्टेशन रोड मा0ज0 जिला पाली पहुंचा वहां अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला। अप्रार्थी की दुकान पर बिक्री हेतु Packaged drinking water (shree my choice brand) रखे हुए थे, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 आमजन को विक्रय कर रहा था। अप्रार्थी संख्या एक की दुकान पर कुल 20 पेकेट रखे हुए थे प्रत्येक में 12 पानी की बोतल थी, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी संख्या 01

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

को बता दिया की Packaged drinking water (shree my choice brand) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में एक लीटर की 16 पैक बोतल Packaged drinking water (shree my choice brand) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर 160/–रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी की दुकान से खरीदशुदा पानी की बोतल Packaged drinking water (shree my choice brand) को चार भागो में विभक्त कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–660 लिखा एंव अन्य नमुना विवरण अंकित किया गया, जिसे चारों नमुना पैकेट पर चिपकाकर नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की जिस पर गवाह, अप्रार्थी संख्या 01 एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 01(विक्रेता) ने मौके पर महादेव एजेन्सी मा0ज0 का बिल क्रमांक 2409 दिनांक 14.05.2017 का पेश किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को कार्यालय के कर्मचारी मो0 मोहसिन के साथ खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को दिनांक 15.05.2017 को जमा कर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस/482/एक्ट/2017/486 दिनांक 26.05.2017 अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से लिया गया नमुना कोड संख्या आर–660 Mis Branded पाया गया, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा Mis Branded Packaged drinking water (shree my choice brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने पूर्व में पेश लिखित जवाब में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में खाद्य पदार्थ को केवल खाद्य विश्लेषक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिथ्याछाप दर्शाया गया है चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 2.2.2(10) आगे चार भागों में विभाजित है जिनका उल्लेख प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में नही किया गया है इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को उचित धारा के उल्लेखन के अभाव में खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी की बहस, अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.07.2017 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से Packaged drinking water (shree my choice brand) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–660 अंकित कर सीलबन्द किया गया अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना Packaged drinking water (shree my choice brand) अप्रार्थी संख्या 02

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की फर्म महादेव एजेन्सी से खरीद किया गया है एवं अप्रार्थी 02 द्वारा उक्त Packaged drinking water (shree my choice brand) निर्माता कम्पनी अप्रार्थी संख्या 03 से खरीद किया है जिसके सन्दर्भ में खरीद बिल पत्रावली के संलग्न है, अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना कोड संख्या आर 660 Packaged drinking water (shree my choice brand) को वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जिसके सन्दर्भ में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से दिनांक 26.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा उत्पादित एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा विक्रय Packaged drinking water (shree my choice brand) पर Best before - 6 month form the date of mfg. में छोटे शब्दो में लिखा गया है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बडे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए साथ ही उत्पाद पर FSSAI Lincense No. अंकित नही है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.1(7)and 2.2.2(10) के प्रावधानों के विरूद्व है, जो Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act-2006 का उल्लंघन है, जो धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी 01 द्वारा Mis Branded Packaged drinking water (shree my choice brand) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25,000/–अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 25,000/–अक्षरे पच्चीस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा Mis Branded Packaged drinking water (shree my choice brand) का उत्पादन करने के कारण 25,000/– अक्षरे एक पच्चीस हजार रूपये कुल 75,000/– अक्षरे पिचहतर हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्दभान सिंह भाटी)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली